(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 145–दो/1990 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–1990 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 90/1982–83 अपील

1– रामसेवक पुत्र दमरूलाल ब्राहमण
2– सुखनन्दन पुत्र कुन्दनलाल ब्राहमण
3– मुन्नालाल पुत्र कुन्दनलाल ब्राहमण
4– मदनलाल पुत्र केशरदास ब्राहमण
निवासी ग्राम पिपरोदा तहसील चन्देरी
तत्कालीन जिला गुना वर्तमान जिला
अशोकनगर, मध्य प्रदेश ––– आवेदकगण

विरूद्ध

1– मिश्रीलाल पुत्र छन्नूलाल जैन
2– आनन्दकुमार पुत्र मिश्रीलाल जैन
निवासी चन्देरी तहसील चन्देरी
तत्कालीन जिला गुना वर्तमान जिला
अशोकनगर, मध्य प्रदेश ––––अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री ए0के0अग्रवाल)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदक–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 फरवरी ,2.016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/1982–83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–3–1990 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने

तहसीलदार चन्देरी को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि ग्राम पिपरोदा की आराजी क्रमांक 194/2 रकबा 2.926 हैक्टर एंव आराजी क्रमांक 203/11 रकबा 1.254 हैक्टर उनके स्वामित्व की है आराजी क्रमांक 194/2 रकवा 2-926 हैक्टर में सीताफल के पेड़ लगे हैं जिनकी संख्या 1500 है आराजी क्रमांक 203/11 रकबा 1.254 हैक्टर में पक्की पार है जिसे राजस्व अभिलेख में विवादित बता दिया है अतः आराजी क्रमांक 194/2 रकवा 2-926 हैक्टर 1500 सीताफल के पेड़ तथा आराजी क्रमांक 203/11 रकबा 1.254 हैक्टर पर बनी पार उनके नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 6 अ/81-82 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 03 जुलाई 1982 से सीताफल के 800 पेड़ मानते हुये आराजी क्रमांक 203/11 रकबा 1.254 हैक्टर पर बनी पार अनावेदकगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष अपील क्रमांक 104/81-82 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 16-12-82 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 90/82-83 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 31-3-90 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार का आदेश यथावत् रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक क-1 के अभिभाषक के तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय में हलका पटवारी के कथन हुये है पटवारी ने

शपथ पत्र पर दिये गये कथनों में बताया गया है कि उसने सर्वे नंबर 203/11 में पार विवादग्रस्त इसलिये अंकित कर दी थी कि यह पार गांव के नक्शे में बनी हुई नहीं है जबकि मौके पर पार बनी हुई है जिसके कारण तहसीलदार ने मौके की स्थिति के मान से आराजी क्रमांक 203/11 रकबा 1.254 हैक्टर में पार बनी होने का सत्यापन होने के आधार पर आवेदकगण के नाम किया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने त्रृटिपूर्ण निष्कर्ष निकाल कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने की भूल की गई थी जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 90/1982-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1990 से अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण निष्कर्षो पर आधारित आदेश को निरस्त किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/1982-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1990 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर